न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 235/2025

अपीलाण्ट :–

1. सांकलाराम पुत्र श्री खुशालींगजी पुरोहित आयु 75 वर्ष जाति पुरोहित पेशा खेती निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.)।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज)
2. कालुराम पुत्र श्री जुहारिंग जी पुरोहित आयु 47 वर्ष जाति पुरोहित पेशा व्यापार निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.)
3. सीतादेवी पुत्री श्री जुहारिंगजी पत्नी गणेशराम जी पुरोहित आयु 64 वर्ष जाति पुरोहित हाल निवासी आमथला तहसील आबुरोड जिला सिरोही (राज.)
4. पुष्पादेवी पुत्री श्री जुहारिंगजी पत्नी देवेन्द्रजी पुरोहित आयु 52 वर्ष जाति पुरोहित हाल निवासी ईन्द्रा कॉलोनी पिण्डवाडा तहसील आबुरोड जिला सिरोही (राज.)
5. मुन्नादेवी पत्नी शैतानजी पुरोहित जाति पुरोहित आयु 35 वर्ष निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.)
6. कुणाल पुत्र शैतानजी प्रोहित आयु 17 वर्ष जाति पुरोहित निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही (राज.)
7. पल्लवी पुत्री शैतानजी पुरोहित आयु 15 वर्ष जाति पुरोहित निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सिरोही (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.03.2023 को भू–अभिलेख अधिकारी (एस डी ओ) पिण्डवाडा के द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2022 अनवान सांकलाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री हेमंत जैन, श्री महिपाल सिंह राठौड़, श्री राजेश सहारण, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 7 एक बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 01 दिसम्बर, 2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्टस संख्या 2 से 7 की कृषि भूमि ग्राम बनास पटवार हल्का डूंगरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 85, 86, 88, 98 क्षैत्रफल क्रमशः 0.16 बीघा, 0.11 बीघा, 8 बीघा व 3.05 बीघा स्थित है। अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्टस संख्या 2 से 7 के दादा खुशालिंग पुत्र प्रतापलिंगजी के खातेदारी में अंकित रही है। खुशालिंग के देहान्त के पश्चात् उनके वारिस अपीलार्थी और जुहारिंगजी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा किया गया और उक्त बंटवाडे के अनुसार बतौर खातेदार बराबर बराबर काबिज हुए और समान हिस्सों पर काश्त करने लगे।

2. अपीलार्थी और जुहारिंग जी ने उक्त बंटवारे का इकरार दिनांक 06.05.2016 को लिखित में करते हुए अपने अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशान से तकमील किया परन्तु उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में अंकन नहीं था। जिसे तत्कालीन पटवारी से सहयोग लेकर एक बंटवारा प्रशासन गांव के संग अभियान आदर्श डूंगरी के कैम्प प्रभारी व तहसीलदार पिण्डवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा बंटवाडे को स्वीकार कर दिनांक 28.06.2016 को बंटवाडे के अनुसार नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अपीलार्थी के खाते में खसरा संख्या 85, 267/86, 269/88, 271/88, 273/98 और रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 7 के पिता, दादा जुहारिंग जी के खाते में खसरा संख्या 266/86, 268/88, 270/88, 272/98 व 274/98 जमाबन्दी में अंकित किये गये। अपीलाण्ट सांकलाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व

संभागीय आयुक्त

अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2016 में प्रस्तुत बंटवारा अनुसार अपीलार्थी और उसके भाई जुहारिंगजी के खातेदारी में बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया लेकिन नक्शा ट्रेस में दोनों भाईयों के हिस्सों को सही रूप से तरमीम नहीं किया गया। उक्त विवादग्रस्त भूमि की तरमीम मौके एवं कब्जे के काश्त अनुसार और वास्तविक हक हिस्से अनुसार पुनः तरमीम किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (एस डी ओ) पिण्डवाडा द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर आदेश दिनांक 29.03.2023 पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 29.03.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 05.04.2023 को पेश की गई है।

4. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2023 को पारित किया गया है, वह विधि एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार तत्कालीन पटवारी ने अपीलार्थी के भाई जुहारिंग जी के साथ मिलीभगत करते हुए बंटवारे की मौका व भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं करते हुए अपीलार्थी के भाई जुहारिंग जी का हिस्सा बढा दिया और अपीलार्थी का हिस्सा कम कर दिया जबकि राजस्व अभिलेख में बंटवारे के अनुसार अपीलार्थी व उसके भाई जुहारिंग जी का बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संवत् 2070 से 73 की जमाबन्दी व नामान्तरण की प्रतियां प्रस्तुत की गई और निवेदन किया गया कि राजस्व दस्तावेजों व अभिलेख के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शा ट्रेस में संशोधन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते वक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मौका की स्थिति को मध्येनजर नहीं रखा और अपना आदेश दिनांक 29.03.2023 इस आधार पर पारित किया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि यह नवीन बंटवारे की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2023 मामले के तथ्य व परिस्थितियों के प्रतिकूल व कानूनी प्रावधान के उल्लंघन में पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.03.2023 पारित करते वक्त तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में किये गये इस कथन पर भी गौर नहीं किया कि खसरा संख्या 88 के चार भाग मौका के अनुसार नहीं किये जाने के कारण खसरा संख्या 88 के मध्य उत्तर से दक्षिण की विभाजन रेखा को पश्चिम दिशा की ओर खिसका देनें से विवाद उत्पन्न हुआ है जबकि अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 7 के द्वारा बंटवारे के अनुसार बराबर बराबर हिस्से में काबिज है इसलिए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र शुद्धि हेतु स्वीकार किया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब के साथ विभाजन के अनुसार बनाया नक्शा व मौके के अनुसार काबिज ट्रेस नक्शा भी प्रस्तुत किया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 7 राजस्व अभिलेख में दर्ज कृषि भूमि से अधिक पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते वक्त तहसीलदार पिण्डवाडा के द्वारा प्रस्तुत जवाब व जवाब केसाथ संलग्न दोनों नक्शों पर गौर नहीं किया और यह कहते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया कि यह नवीन बंटवारे की श्रेणी में आता है न कि तरमीम शुद्धि की श्रेणी में। अपीलार्थी यहां यह कहना उचित समझता है कि राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी व उसके भाई जुहारिंग जी के नाम बराबर बराबर हिस्सा दर्ज है और उनके द्वारा धारित भूमि नवीन खसरा नंबर 268/88, 269/88, 270/88 व 271/88 में आई हुई है जो कि पूर्व खसरा संख्या 88 का ही भाग है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2023 बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि वर्तमान में ग्राम बनास तहसील पिण्डवाडा का जीपीएस मैप बनाया गया, जिसमें राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्तमान मौके की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें अपीलार्थी का हिस्सा राजस्व अभिलेख के अनुरूप दर्शित है। इस जीपीएस मैप के साथ संबंधित अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 88 के चार भाग राजस्व अभिलेख के अनुसार किये गये है उनमें तथा तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा गलत की गई तरमीम में विरोधाभास है। इसी विरोधाभास कि दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जीपीएस मैप व तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत तरमीम का ट्रेस नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नेअपने आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2023 में इन दोनों नक्शों के विरोधाभास के बारे में किसी भी प्रकार से गौर नहीं किया और अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र नवीन बंटवारे की श्रेणी में मानते हुए खारिज कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 2 से 7 ने अपने जवाब में यह कथन नहीं किया कि राजस्व अभिलेख में इन्द्राज गलत है। रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 2 से 7 का आचरण हस्तगत प्रकरण में उचित व जायज नहीं है क्योंकि एक तरफ तो उनके द्वारा राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाई जुहारिंग जी का बहहिस्सा बराबर बराबर मानते है जबकि दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत तरमीम को सही मानते है जो कि अपने आप में विरोधाभासी कथन है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत तरमीम के कारण रेस्पोण्डेन्ट् सं 2 से 7 ने रेल्वे विभाग द्वारा अपीलार्थी के हिस्से की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया जबकि वह उसके हकदार नहीं थे। अपीलार्थी यहां यह कहना भी उचित समझता है कि रेल्वे विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस नक्शे में भी अपीलार्थी का हिस्सा राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तहसीलदार पिण्डवाडा के जवाब से यह भली भांति दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से की गई तरमीम की शुद्धि करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही करते हुए यात्रिक रूप से अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2023 को निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील–अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी, पिण्डवाडा जिला सिरोही के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

9. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 के मध्य संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बनास पटवार हल्का डुंगरी तहसी पिण्डवा के खसरा नंबर 85,86,88,98 रकबा क्रमशः 0.16, 0.11, 8.00 व 3.05 आई हुई थी। अपीलाण्ट् एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 एक ही दादा, बेटा, पोता होने से आपस में कई वर्ष पूर्व विभाजन कर अपनी अपनी कब्जे शुदा भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 के पुत्र–पोता का विभाजन का इकरार नामा लिखत द्वारा दिनांक 06.05.2016 को तहरीर व तकमील किया गया था। उक्त विभाजन ईकरारनामा का प्रशासन गांवो के संग अभियान में अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट्स के मध्य इकरारनामा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पिण्डवाडा के समक्ष पेश किया जाने से तहसीलदार पिण्डवाडा के द्वारा विभाजन इकरारनामा के अनुसार जुहारींग पुत्र खुशालींग पुरोहित रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 के खाते में खसरा नंबर 266/86, 268/88,270/88,272/98 एवं 274/98 रकबा क्रमशः 0.05,2.08, 2.00, 0.16, 0.17

संभागीय आयुक्त

बीघा कुल 6.06 बीघा एवं अपीलाण्ट सांकलाराम पुत्र खुशालींग के खाते में खसरा नंबर 85,267/88,269/88,271/88,273/98 एवं 275/98 रकबा क्रमशः 0.16,0.06,1.12,2.00,0.16,0.16 बीघा कुल 60.06 बीघा का विभाजन किया गया। उक्त विभाजन का आदेशानुसार तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 28.06.2016 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान करावे।

10. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 बावजुद नोटिस तामिल के वकालतन अथवा असालतन उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध दिनांक 02.07.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

11. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालयो की पत्रावलियों का बगौर अवलोकन किया गया।

12. अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा मुख्य कथन यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्टस संख्या 2 से 7 की कृषि भूमि ग्राम बनास पटवार हल्का डूंगरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 85, 86, 88, 98 में क्रमशः 0.16 बीघा, 0.11 बीघा, 8 बीघा व 3.05 बीघा स्थित है, अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्टस संख्या 2 से 7 के दादा खुशालिंग पुत्र प्रतापलिंगजी के खातेदारी रही है। खुशालिंग के देहान्त के पश्चात् उनके दोनों वारिस अपीलार्थी और जुहारिंगजी उपरोक्त कृषि भूमि के उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कई वर्ष पहले किया और उक्त बंटवारे के अनुसार बतौर खातेदार बराबर बराबर काबिज हुए और समान हिस्सों पर काश्त करने लगे। अपीलार्थी और जुहारिंग जी ने उक्त बंटवारे का इकरार नामा दिनांक 06.05.2016 को प्रशासन गांव के संग अभियान आदर्श डूंगरी के कैम्प प्रभारी व तहसीलदार पिण्डवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा बंटवारे को स्वीकार कर दिनांक 28.06.2016 को बंटवारे के अनुसार नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। जिसमें अपीलार्थी के खाते में खसरा संख्या 85, 267/88, 269/88, 271/88, 273/98,275/98 और रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 7 के पिता, दादा जुहारिंग जी के खाते में खसरा संख्या 266/86, 268/88, 270/88, 272/98 व 274/98 अंकित किये गये थे परन्तु प्रशासन गांव के संग अभियान 2016 में प्रस्तुत किये गये बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अपीलार्थी और उसके भाई जुहारिंगजी के खातेदारी में बराबर बराबर 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में तो अंकित कर दिया लेकिन राजस्व नक्शा ट्रेस में दोनों भाईयों के हिस्सों को सही रूप से तरमीम नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, पिण्डवाडा के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के उक्त प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिनांक 29.03.2023 पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

13. अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, पिण्डवाडा ने अपने आदेश दिनांक 29.03.2023 में विवेचन किया है कि प्रथमदृष्टया स्टेट के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी (अपीलाण्ट) ने दिनांक 28.06.2016 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में आपसी सहमति से तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत एवं तद्नसार अमल दरामद किये गये बंटवाडे से असहमत है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र एवं बहस में मात्र तरमीम शुद्धि का हवाला दिया गया है लेकिन पूर्व में हुये बंटवाड़ा से अवलोकन से स्पष्ट है ग्राम बनास के चारो खसरे 85,86,88,98 कुल किता 4 रकबा 12.12 बीघा आराजी उभयपक्षकारान् के मध्य समान रूप से विभाजित की जाकर कुल 6.06 बीघा रकबा एक पक्षकार के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुई। वर्तमान नक्शें में खसरा नंबर 88 के विभाजन बाद नवीन निर्मित खसरा नंबर 268/88,269/88,270/88,271/88 के रकबे को स्टेट के जवाब में प्रस्तावित विभाजन में परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है जो कि नवीन बंटवाडा की श्रेणी में आता है न कि तरमीम शुद्धि की श्रेणी में। बिना रकबे को परिवर्तित किये तरमीम शुद्धि किस प्रकार से संभव है उक्त बाबत न तो स्टेट के जवाब में कथन किया गया है और न ही प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बनास तहसील पिण्डवाडा के खसरा नंबर 85,86,88,98 रकबा क्रमशः 0.16, 0.11, 8.00 व 3.05 बीघा स्थित थी। अपीलाण्ट् एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 एक ही दादा, बेटा, पोता होने से आपस में कई वर्ष पूर्व विभाजन कर अपनी अपनी कब्जे शुदा भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 से 7 के पुत्र–पोता का विभाजन इकरार नामा लिखत द्वारा दिनांक 06.05.2016 को तहरीर व तकमिल किया गया था। उक्त विभाजन का आदेशानुसार तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 28.06.2016 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया था। उक्त बंटवाडा पश्चात् अपीलार्थी के खाते में खसरा संख्या 85 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 267/86 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 269/88 रकबा 1.12 बीघा, खसरा संख्या 271/88 रकबा 2.00 बीघा, खसरा संख्या 273/98 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 275/95 रकबा 0.16 बीघा कुल रकबा 6.06 बीघा और रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 7 के पिता, दादा जुहारिंग जी के खाते में खसरा संख्या 266/86 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 268/88 रकबा 2.08 बीघा, खसरा संख्या 270/88 रकबा 2.00 बीघा,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा संख्या 272/98 रकबा 0.16 बीघा व खसरा संख्या 274/98 रकबा 0.17 कुल रकबा 6.06 बीघा दर्ज हुये।

15. इस प्रकार ग्राम बनास के चारो खसरे 85, 86, 88, 98 कुल किता 4 रकबा 12.12 बीघा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स के मध्य समान रूप अर्थात बराबर बराबर विभाजित की जाकर कुल 6.06 बीघा रकबा एक पक्षकार के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड हुये है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी पिण्डवाडा के न्यायालय में धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौके के कब्जे काश्त अनुसार और हक हिस्से अनुसार पुनः तरमीम किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। यहां पर धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के उद्धरित करना समीचीन होगा।

136 [Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

16. उपरोक्त अनुसार भू–अभिलेखीय की त्रुटि को ही धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में सुधारा जा सकता है। लेकिन अपीलाण्ट द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के द्वारा संशोधित तरमीम का अनुतोष चाहा गया है जो अनुतोष प्रश्नगत अपील में नही दिया जा सकता है। नक्शे की तरमीम की दुरूस्ती हेतु नियमो में पृथक से प्रावधान है। वैसे भी राजस्व रिकॉर्ड में उभय पक्षकरों का बंटवारे के बाद बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज है।

17. अधीनस्थ न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से स्टेट से जवाब प्राप्त कर विधि अनुरूप निर्णय दिनांक 29.03.2023 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय भू– अभिलेख अधिकारी पिण्डवाडा के आदेश दिनांक 29.03.2023 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्रावधित प्रावधानो के अनुसार आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ भू–अभिलेख अधिकारी पिण्डवाडा का आदेश दिनांक 29.03.2023 विधि के अनुरूप होने से

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ भू–अभिलेख अधिकारी पिण्डवाडा के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2022 अनवान सांकलाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर